



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257307  
CG-DL-E-20092024-257307

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 542]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएँ.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- (क) "अधिनियम" से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 अभिप्रेत है;

- (ख) "विवाद" से घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी द्वारा अपीलीय फोरम के समक्ष दायर की गई अपील, रिट या विशेष अनुमति याचिका, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष दायर की गई आक्षेपों और विवाद समाधान पैनल ने कोई निदेश जारी नहीं किया है, या विवाद समाधान पैनल ने उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उप-धारा (5) के अधीन निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने उस धारा की उप-धारा (13) के अधीन निर्धारण पूरा नहीं किया है, या अधिनियम की धारा 264 के अधीन दायर आवेदन नहीं किया है, अभिप्रेत है।
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "घोषणाकर्ता के पक्ष में शामिल मुद्दे" से वह मुद्दे अभिप्रेत है जिनके संबंध में—
- (i) अपीलीय फोरम के समक्ष आयकर प्राधिकरण द्वारा एक अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है, या
  - (ii) आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की जाती है या घोषणाकर्ता द्वारा विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप दायर किए जाते हैं, जिन पर उसे पहले ही आयकर अपीलीय अधिकरण से उसके पक्ष में निर्णय मिल चुका है। (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है) या उच्च न्यायालय (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है), या
  - (iii) आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा एक अपील दायर की जाती है, जिस पर उसे पहले ही उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय मिल चुका है (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है)।
- (ङ.) "नए अपीलकर्ता मामले" से "पुराने अपीलकर्ता मामले" से भिन्न कोई मामला अभिप्रेत है, जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के पश्चात किंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले का अपीलकर्ता है;
- (च) "पुराने अपीलकर्ता मामले" का अर्थ है जहां घोषणाकर्ता किसी कर बकाया के संबंध में 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले अपीलकर्ता है और ऐसे कर बकाया के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख पर उसी अपीलीय मंच पर अपीलकर्ता बना हुआ है;
- (छ) "धारा" से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा अभिप्रेत है, जैसा कि उक्त अधिनियम के अध्याय IV में शामिल है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ और परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें उन अधिनियमों में दिया गया है।

**3. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम.** - (1) जहां कोई घोषणाकर्ता अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को 31.12.2024 को या उससे पूर्व घोषणा फाइल करता है, वहां अधिनियम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम अधिनियम की धारा 90 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित रकम होगी जो उक्त सारणी के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक में यथा उपबंधित शर्तों के अधीन होगी।

(2) जहां कोई घोषणाकर्ता अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को 01.01.2025 को या उसके पश्चात् किन्तु अंतिम तारीख को या उससे पूर्व घोषणा फाइल करता है, वहां अधिनियम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम धारा 90 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (4) में यथा उपबंधित रकम होगी जो उक्त सारणी के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक में यथा उपबंधित शर्तों के अधीन होगी।

(3) जहां विवाद में घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे शामिल हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में विवादित कर वह रकम होगी, जो विवाद में सभी मुद्दों पर संदेय कर, अधिभार और उपकर सहित, के समानुपात में होगी, जो कि घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दों के संबंध में विवादित आय, विवाद में सभी मुद्दों के संबंध में विवादित आय के समानुपात में होगी।

**4. घोषणा और वचनबंध का प्ररूप.-** (1) धारा 91 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के लिए घोषणा और उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट वचनबद्धता, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-1 में की जाएगी और प्रत्येक आदेश के संबंध में पृथक रूप से फाइल की जाएगी:

परंतु कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका दायर की है, अपीलकर्ता द्वारा एकल प्ररूप -1 फाइल किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन घोषणा और उपक्रम को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 140 के अनुसार घोषणाकर्ता या उसकी ओर से आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी, घोषणा की प्राप्ति पर उसकी पावती में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रसीद जारी करेगा।

**5. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का प्ररूप.-** अभिहित प्राधिकारी धारा 92 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-2 में जारी करेगा।

**6. संदाय की सूचना -** अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार धारा 92 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट संदाय की सूचना, अपील, आक्षेप, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या घोषणाकर्ता द्वारा प्ररूप-3 में अभिहित प्राधिकारी को फाइल दावे के साथ, प्रस्तुत की जाएगी।

**7. अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश.-** धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के संदाय के संबंध में धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश, प्ररूप-4 में होगा।

**8. प्रक्रिया, फार्मेट और मानकों का अधिकथन.-**(1) यथादशा, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप-1 में घोषणा और वचनबंध प्रस्तुत करना और सत्यापित करने, नियम 5 के अधीन प्ररूप-2 में प्रमाण पत्र जारी करने, नियम 6 के अधीन प्ररूप-3 में संदाय की सूचना और निकासी का प्रमाण जारी करने और नियम 7 के अधीन प्ररूप-4 में आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया, फार्मेट और मानक अधिकथित करेंगे।

(2) प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) उक्त घोषणा, वचनबंध, प्रमाण-पत्र, सूचना और आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

**9. उन मामलों में विवादित कर की गणना करने की रीति जहां हानि या शेष अवक्षयण कम हो जाता है-** जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विवाद आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रणीत हानि या शेष अवक्षयण में कमी से संबंधित है, घोषणाकर्ता (i) विवादित कर में उस रकम पर संदेय कर, जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है, शामिल करेगा जिससे हानि या शेष अवक्षयण कम हो जाता है और हानि या शेष अवक्षयण में कटौती की ऐसी रकम की अनदेखी करके हानि या शेष अवक्षयण को आगे ले जाएगा।

(ii) या हानि या शेष अवक्षयण की घटी हुई रकम को आगे ले जाएगा।

(2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) में यथा उपबंधित विकल्प का प्रयोग करता है, वहां वह पश्चातवर्ती वर्षों में हानि या शेष अवक्षयण की कम की गई रकम को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, अधिभार और उपकर सहित कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही ब्याज, यदि कोई हो, का भी संदाय करेगा:

परंतु कि वर्ष के अंतिम दिन पर आस्ति के ब्लॉक का अवलिखित मूल्य, जिसके संबंध में शेष अवक्षयण कम कर दिया गया है, शेष अवक्षयण में कटौती की रकम से नहीं बढ़ाया जाएगा।

परंतुकि उप-नियम (1) के खंड (ii) में आगे ले जाने के लिए हानि या शेष अवक्षयण की कम की गई रकम की गणना करते समय, उस रकम का आधा हिस्सा जिससे हानि या शेष अवक्षयण कम किया गया है, कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में कवर किए गए मुद्दों से संबंधित है।

**10. उन मामलों में विवादित कर की गणना / करने की रीति जहां / (एमएटी) प्रत्यय कम हो जाता है –(1)** जहां किसी निर्धारण वर्ष में विवाद न्यूनतम अनुकल्पी कर एमएटी प्रत्यय में कटौती आगे ले जाने से संबंधित है, घोषणाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे (i) विवादित कर में आगे ले जाने के लिए एमएटी प्रत्यय में कटौती की गई रकम को शामिल करेगा और कटौती की ऐसी रकम को अनदेखा करके एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाएगा।

(ii) या कम किए गए एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाएगा।

(2) जहां घोषणाकर्ता उप-नियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वहां वह पश्चातवर्ती वर्षों में कम किए गए एमएटी प्रत्यय को आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, अधिभार और उपकर सहित कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही ब्याज, यदि कोई हो, का भी संदाय करेगा:

परंतुकि उप-नियम (1) के खंड (ii) में आगे ले जाने के लिए एमएटी प्रत्यय की कम की गई रकम की गणना करते समय, एमएटी प्रत्यय में कम की गई रकम के आधे हिस्से को कटौती के लिए माना जाएगा, यदि ऐसी कमी घोषणाकर्ता के पक्ष में कवर किए गए मुद्दों से संबंधित है।

**स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजन के लिए एमएटी प्रत्यय का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115 जकक या 115 जघ के उपबंधों के अनुसार कर प्रत्यय अभिप्रेत है।

<b>प्ररूप-1</b>																		
<b>(नियम 4 देखिए)</b>																		
वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 की धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा और उपधारा (4) के अधीन वचनबंध फाइल करने के लिए प्ररूप																		
<b>(प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन)</b>																		
भाग क – साधारण सूचना																		
पैन (अनिवार्य क्षेत्र)	टैन(अनिवार्य यदि टैन आधारित अपील)										मोबाईल संख्या							
आधार सं.											अपीलकर्ता का नाम	ई मेल पता						
अपील संदर्भ संख्या (एआरएन) [यदि निर्धारिती और विभाग दोनों एक ही आदेश के खिलाफ अपील में हैं, तो दोनों एआरएन प्रदान करें](एक पंक्ति जोड़ें)										निर्धारण वर्ष								
वित्तीय वर्ष(केवल तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब टैन आधारित अपील हो)																		
<b>पात्रता से संबंधित सूचना</b>																		
क्या आवेदक डी.टी.वी.एस.वी. की धारा 89 के निबंधनों में अपीलकर्ता है और वह डी.टी.वी.एस.वी. की धारा 96 के निबंधनों में आवेदन करने के लिए अपात्र नहीं है?										हां				नहीं				
अपीलकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प क्या हानि में कमी या अवक्षयण या MAT प्रत्यय पर कर का संदाय करना है यदि हाँ तो A के अधीन सुसंगत अनुसूची पर जाएँ; यदि नहीं तो अनुसूची घ के अधीन अनुसूची xxvii भरें																		

**भाग ख – विवाद से संबंधित सूचना:(पृथक प्ररूप-1 प्रत्येक विवाद के लिए घोषणा)**

कर बकाया की प्रकृति	विवादित कर / विवादित ब्याज / विवादित शास्ति/ विवादित फीस	22.07.2024 तक लंबित अपील / रिट / एसएलपी / डीआरपी आक्षेप / पुनरीक्षित आवेदन का विवरण.- (1) क्या अपील/ आक्षेप /संशोधन/रिट/एसएलपी है? (2)अपीलीय प्ररूप – जेसीआईटी(ए)/सीआईटी(ए)/डीआरपी/सीआईटी/पीसीआईटी/आईटीएटी/एचसी/एससी (3) द्वारा फाइल – (सुसंगत विकल्प पर निशान लगाएं) – निर्धारिती/विभाग/दोनों (4) फाइल करने की तारीख (5) क्या डीआरपी मामला है? (6) यदि हां, तो क्या डीआरपी द्वारा 22.07.2024 को या उससे पूर्व निदेश पारित किए गए थे? (7) यदि हां, तो क्या एओ द्वारा आदेश पारित किया गया था? (यदि हां, तो पात्र नहीं) (8) लागू अनुसूची(ए) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रॉपडाउन प्रदान किया जाएगा)	(ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराया जाएगा)विवादित कर की प्रकृति, अपीलीय फोरम और अपीलकर्ता सुसंगत अनुसूची के संयोजन के आधार पर घोषणाकर्ता द्वारा भरा जाएगा
कर बकाया अवधारित करने वाले आदेश का विवरण  (1) धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया (2) आयकर प्राधिकारी/अपील फोरम जिसने आदेश पारित किया (3) आदेश पारित होने की तारीख (4) क्या यह धारा 194झक/194झख/194ड से संबंधित विवाद है – हाँ नहीं	(ई-यूटीलीटी प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाऊन)	यदि घोषणा विवादित टीडीएस/टीसीएस अपील सहित विवादित कर के लिए अपील, रिट, एसएलपी के संबंध में है, तो क्या ऐसे विवादित कर के संबंध में लगाए गए ब्याज या जुर्माने के लिए कोई अपील, रिट या एसएलपी लंबित है - हां/नहीं	यदि हां, तो ऐसी अपील, रिट या एसएलपी का ब्यौरा दें। (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दर्ज किया जाएगा)
<b>भाग ग – कर बकाया से संबंधित सूचना</b>			
(i)	कर बकाया (अनुसूची के अनुसार)		
<b>भाग घ – संदेय रकम से संबंधित सूचना</b>			
(ii)	डीटीवीएसवी के अधीन संदेय कुल रकम यदि 31.12.2024 के पूर्व घोषणा की जाती है	सुसंगत अनुसूची से भ से उठाना (दोनों निर्धारिती तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)	
(ii)	डीटीवीएसवी के अधीन संदेय कुल रकम यदि 31.12.2024 के पश्चात घोषणा की जाती है	सुसंगत अनुसूची से म से उठाना (दोनों निर्धारिती तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)	
<b>भाग ड. – कर बकाया के विरुद्ध संदाय से संबंधित सूचना</b>			
(i)	क्या घोषणाकर्ता ने घोषणा पत्र फाइल करने से पहले कर बकाया के विरुद्ध कोई संदाय किया है या नहीं?	हां	नहीं

(ii)	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण भरें			
क्रम सं०	संदाय की तारीख	रकम	बीएसआर कोड	चलान क्रम सं.
1.				
(iii)	कर बकाया के विरुद्ध कुल संदाय			
भाग च (iii)	अपीलकर्ता द्वारा संदेय/प्रतिदाय यथादशा शुद्ध रकम: भाग घ (i) या घ (ii) घटाव भाग ड.			
<b>सत्यापन</b>				
मैं..... का पुत्र/पुत्री श्री..... (बड़े अक्षरों में नाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास से इस घोषणा में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार है।				
मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता से यह घोषणा कर रहा हूँ क्योंकि (प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन).....				
..... और मैं इस घोषणा को करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या..... धारक हूँ (यदि आवंटित किया जाता है)				
स्थान.....				
तारीख.....				
घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर				

<b>वचनबंध</b>
<p>सेवा में,</p> <p>अभिहित प्राधिकारी</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>महोदय/महोदया,</p> <p>*मैं, .....(नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .....पैन नंबर .....रखने का निर्णय लिया है और वित्त (सं.2) अधिनियम,2024 (2024 का 15) के अध्याय 6 के अधीन उपबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 का फायदा उठाने का निर्णय लिया है, स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों का परित्याग करता हूँ, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कर-बकाया के संबंध में कोई उपाय या दावा करने या आगे बढ़ाने के लिए जो अन्यथा मुझे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, साम्या में, कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन उपलब्ध हो सकते हैं, चाहे विनिधान की सुरक्षा के लिए हो या अन्यथा।</p> <p>*मैं, ..... (नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती। ..... पदनाम ..... पैन संख्या ..... रखता हूँ, इस संबंध में विधिवत् अधिकृत और सक्षम होने के नाते, ..... (घोषणाकर्ता का नाम) के निमित्त, जिसका पैन संख्या ..... (घोषणाकर्ता का पैन संख्या) है, और वित्त (सं.2) अधिनियम,2024 (2024 का 15) के अध्याय 6 के अधीन उपबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास</p>

योजना, 2024 का लाभ उठाने का निर्णय लेने के पश्चात, कर-बकाया के संबंध में कोई उपाय या दावा करने या आगे बढ़ाने के अपने सभी अधिकारों को, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, स्वेच्छा से त्यागता हूँ, जो मुझे अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, साम्या में, क़ानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन उपलब्ध हो सकता है, चाहे विनिधान की सुरक्षा के लिए हो या अन्यथा।

उपरोक्त वचनबंध अपरिवर्तनीय है।

मैं यह भी वचनबंध करता हूँ कि वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 की धारा 96 के उपबंध इस मामले में आकर्षित नहीं होते हैं।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से अवगत हूँ।

स्थान: .....

हस्ताक्षर/सत्यापन

तारीख: .....

टिप्पण:

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

**अनुसूची क लागू होती है जहां घोषणा विवादित कर से संबंधित होती है (पैन के मामले में लागू)**

**संयोजन: विवादित कर + जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी (ए) + निर्धारिती**

अनुसूची 1 उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील जेसीआईटी (ए)/सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है	क	
	क से विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	बी(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	अगज़न या गज़न द्वारा वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो,	ड.	
च	कुल विवादित कर (ग+घ+ड)	च	
छ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	छ	
ज	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ज	
झ	बकाया कर (च+छ+ज)	झ	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.5*ग+घ+ड$ . पुराना अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ+1.1*ड$ .	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ+1.1*ड$ . पुराना अपीलकर्ता मामला $0.6*ग+1.2*घ+1.2*ड$ .	म	

**संयोजन: विवादित कर + डीआरपी प्रारूप आदेश + निर्धारिती**

**अनुसूची II.** उस दशा में भरा जाना है जब निर्धारिती ने प्रारूप निर्धारण आदेश के खिलाफ डीआरपी के पास आक्षेप दर्ज किए हों और डीआरपी ने 22.07.2024 तक कोई निदेश जारी नहीं किया हो।

क	प्रारूप आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध आक्षेप फ़ाईल किए जाने है	क	
	क से विवादित आय -		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	छ	
ज	बकाया कर (ड.+च+छ)	ज	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.5*ग+घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.6*ग+1.2*घ$	म	

**संयोजन: विवादित कर+डीआरपी निदेश + निर्धारिती**

**अनुसूची III.** उस दशा में भरा जाना है जब डीआरपी ने निर्धारिती द्वारा दायर आक्षेपों के जवाब में आयकर अधिनियम की धारा 144 सी के अधीन निदेश जारी किए हैं और कर निर्धारण अधिकारी ने 22.07.2024 तक डीआरपी द्वारा जारी ऐसे निदेशों के अनुसार आदेश पारित नहीं किया है।

क	डीआरपी के निदेशानुसार कुल आय	क	
	क से विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)	ज	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.5*ग+घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.6*ग+1.2*घ$	म	



**संयोजन: विवादित कर+आईटीएटी+निर्धारिती****अनुसूची IV. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा**

<b>क</b>	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है	<b>क</b>	
	क से विवादित आय		
<b>ख</b>	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा किस भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	<b>ख(i)</b>	
	(ii) ख(i) से भिन्न अन्य मुद्दों से संबंधित	<b>ख(ii)</b>	
<b>ग</b>	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	<b>ग</b>	
<b>घ</b>	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	<b>घ</b>	
<b>ड</b>	कुल विवादित कर (ग+घ)	<b>ड.</b>	
<b>च</b>	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	<b>च</b>	
<b>छ</b>	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	<b>छ</b>	
<b>ज</b>	कर बकाया (ड+च+छ)	<b>ज</b>	
<b>भ</b>	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.5*ग+घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$	<b>भ</b>	
<b>म</b>	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.55*ग+1.1*घ$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.6*ग+1.2*घ$	<b>म</b>	

**संयोजन: विवादित कर + आईटीएटी + विभाग****अनुसूची V. उस दशा में भरा जाना है जब विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है।**

<b>क</b>	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	<b>क</b>	
<b>ख</b>	क से विवादित आय	<b>ख</b>	
<b>ग</b>	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	<b>ग</b>	
<b>घ</b>	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	<b>घ</b>	
<b>ड</b>	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	<b>ड.</b>	
<b>च</b>	बकाया कर (ग+घ+ड.)	<b>च</b>	
<b>भ</b>	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.5*ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.55*ग$	<b>भ</b>	
<b>म</b>	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.55*ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.6*ग$	<b>म</b>	

**संयोजन: विवादित कर+एचसी+निर्धारिती****अनुसूची VI. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

<b>क</b>	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई है	<b>क</b>	
<b>ख</b>	क से विवादित आय	<b>ख</b>	
<b>ग</b>	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	<b>ग</b>	
<b>घ</b>	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	<b>घ</b>	
<b>ड</b>	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	<b>ड.</b>	
<b>च</b>	कर बकाया (ग+घ+ई)	<b>च</b>	
<b>भ</b>	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला ग	<b>भ</b>	

	पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग	म	

**संयोजन: विवादित कर+एचसी+विभाग**

**अनुसूची VII. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उदग्रहित शास्ति	ड.	
च	कर बकाया (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग	म	

**संयोजन: विवादित कर + एससी + निर्धारिती**

**अनुसूची VIII. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

क	फ़ाईल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उद्वृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला ग पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग	म	

**संयोजन: विवादित कर + एससी + विभाग**

**अनुसूची IX. उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।**

क	फ़ाईल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उद्वृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*ग	म	

**संयोजन: विवादित कर + 264 + निर्धारिती**

अनुसूची X. धारा 264 के अंतर्गत निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।

क	फाइल की गई पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क से विवादित आय	ख	
ग	ख के अतिरिक्त विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर प्रभारित ब्याज	घ	
ड	विवादित कर पर उद्गृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड)	च	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला ग पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1*ग पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2*ग	म	

**ख. अनुसूची लागू होगी जहां विवादित टीडीएस/टीसीएस (टीएन के लिए लागू) से संबंधित घोषणा है।**

सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी(ए)कटौतीकर्ता/क्लक्टर  
अनुसूची XI. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक JCIT(A)/CIT(A) के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	<b>अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम</b>		क	क(i)+क(ii)
	(i)	मुद्दों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किस वित्तीय वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है।)	क(i)	
	(ii)	क(i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	क(ii)	
ख	वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो, जेसीआईटी(ए)/ सीआईटी (ए) द्वारा		ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज		ग	
घ	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उद्गृहीत शास्ति		घ	
ड	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग+घ)		ड.	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख		भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*क(i)+1.20*क(ii)+1.20*ख		म	

सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची XII. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा ।

क	<b>अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम</b>		क	क(i)+क(ii)
	(i)	मुद्दों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किस निर्धारण वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है)	क(i)	
	(ii)	क(i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	क(ii)	
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज		ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उद्गृहीत शास्ति		ग	

घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6*क(i)+1.20*क(ii)+1.20*ख	म	

सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+विभाग

अनुसूची XIII. यदि विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क	
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6क	म	

सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+एचसी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची XIV. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरना होगा।

अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क	
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क	म	

सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+एचसी+विभाग

अनुसूची XV. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।

अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई	क	
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	

भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6क	म	

**सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+एससी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर**

**अनुसूची XVI. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारित की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है		
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उद्ग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क	म	

**सहयोजन: विवादित टीडीएस/टीसीएस+एस सी+विभाग**

**अनुसूची XVII. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

अपील में विवादित टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है	क	
ख	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टीडीएस/टीसीएस पर उद्ग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.5क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.55क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.55क पुराना अपीलकर्ता मामला 0.6क	म	

संयोजन : विवादित टी डी एस/ टी सी एस+ 264+कटौतीकर्ता/ कलेक्टर

अनुसूची XVIII. धारा 264 के अधीन निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादित टी डी एस टी सी एसकी रकम			
क	टी डी एस/ टी सी एस व्यतिक्रम जिसके लिए पुनरीक्षित आवेदन दायर किया गया	क	
ख	विवादित टी डी एस/ टी सी एस पर प्रभारित ब्याज	ख	
ग	विवादित टी डी एस/ टी सी एसपर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	बकाया टी डी एस/ टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.12.2024 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.1क	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डीटीवीएसवी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 1.1क पुराना अपीलकर्ता मामला 1.2क	म	

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + सी आई टी (ए)/ जे सी आई टी (ए) + निर्धारिती

ग. अनुसूची वहां लागू होती हैं जहां विवादित शास्ति, ब्याज या फीस से संबंधित घोषणा ही केवल हो (पैन और टैन के लिए लागू)।

अनुसूची XIX. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक JCIT(A)/CIT(A) के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई		
ख	विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस की रकम (क) में से	क	
	(i) मुद्दों से संबंधित, जो कि आई टी ए टी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उसके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	ख(i)+ ख(ii)
	(ii) ख (i) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	सी आई टी (क) /जेसीआईटी(क) दवारा बढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित शास्ति ब्याज या फीस		
घ	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)+ ग	घ	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख (i)+0.3* ख (ii)+0.3* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख (i)+0.35* ख (ii)+0.35* ग	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + आई टी ए टी + निर्धारिती

**अनुसूची XX. यदि निर्धारिती की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरना होगा**

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज/ फीस	ख	ख(i)+ख(ii)
	(i) मुद्दों से संबंधित, जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उनके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख (ii) से भिन्न मुद्दों से संबंधित	ख (ii)	
ग	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.125 * ख (i) + 0.25 * ख (ii) + 0.25 * ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.15 * ख (i) + 0.3 * ख (ii) + 0.3 * ग$	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.15 * ख (i) + 0.3 * ख (ii) + 0.3 * ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.175 * ख (i) + 0.35 * ख (ii) + 0.35 * ग$	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + आई टी ए टी + विभाग

**अनुसूची XXI. यदि विभाग की अपील 22.07.2024 तक ITAT के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है**

क	आदेश के अनुसार शास्ति/ ब्याज/ फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई	क	
ख	मुद्दों से संबंधित विवादित शास्ति/ ब्याज /फीस जिस पर अपील फाईल की गई है	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.125 * ख + 0.125 * ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.15 * ख + 0.15 * ग$	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला $0.15 * ख + 0.15 * ग$ पुराना अपीलकर्ता मामला $0.175 * ख + 0.175 * ग$	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्च न्यायालय + निर्धारिती

**अनुसूची XXII. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाईल की गई	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज /फीस अपील में संदेय	ख	
ग	बकाया कर ख	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम	भ	

	नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग		
म	01.01.2025 को या के पश्चात डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.35* ख +0.35* ग	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्च न्यायालय + विभाग

**अनुसूची XXIII. यदि 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट उच्च न्यायालय में लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई	क	
ख	अपील में उठाए गए मुद्दों पर विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख +0.125* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग	भ	
म	01.01.2025 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख +0.175* ग	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्चतम न्यायालय + निर्धारिती

**अनुसूची XXIV. यदि तारीख 22.07.2024 तक निर्धारिती की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इसे भरा जाना है।**

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाइल की गई	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के लिए विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.35* ख +0.35* ग	म	

संयोजन : विवादित शास्ति/ ब्याज/ फीस + उच्चतम न्यायालय + विभाग



**अनुसूची XXV. उस दशा में भरा जाना है जब 22.07.2024 तक विभाग की अपील या रिट या एसएलपी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।**

क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाईल की गई	क	
ख	अपील में उठाए गए मुद्दों पर विवादित शास्ति/ब्याज /फीस	ख	
ग	बकाया कर (ख)	ग	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.125* ख +0.125* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.15* ख +0.15* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.175* ख +0.175* ग	म	

संयोजन: विवादित शास्ति/ ब्याज /फीस + 264+निर्धारिती

**अनुसूची XXVI. धारा 264 के अधीन निर्धारिती का पुनरीक्षित आवेदन 22.07.2024 तक PCIT/CIT के समक्ष लंबित होने की दशा में भरा जाना है।**

अपील में विवादित टी डी एस/ टी सी एस की रकम			
क	आदेशानुसार शास्ति/ ब्याज /फीस की कुल रकम जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आवेदन फाईल किया गया	क	
ख	विवादित शास्ति/ब्याज /फीस पुनरीक्षित आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर	ख	
घ	बकाया कर (ख)	घ	
भ	31.12.2024 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.25* ख +0.25* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग	भ	
म	01.01.2025 को या के पश्चात पहले डी टी वी एस वी के अधीन संदेय रकम नया अपीलकर्ता मामला 0.3* ख +0.3* ग पुराना अपीलकर्ता मामला 0.35* ख +0.35* ग	म	

**घ. यदि अपीलकर्ता घटे हुए हानि/अवक्षयण या एमएटी प्रत्यय को आगे बढ़ाने के प्रभाव वाले परिवर्धन पर कर का संदाय न करने का विकल्प चुनता है तो निम्नलिखित अनुसूचियां भरी जानी चाहिए।**

**अनुसूची XXVII- क.**

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.फाइल विवरणी के अनुसार हानि/शेष अवक्षयण को आगे बढ़ाया गया	3.वीएसवीएस निपटान के पश्चात आगे ले जाई गई हानि/शेष अवक्षयण	4.स्तंभ (2) में हानि/शेष अवक्षयण को ध्यान में रखते हुए आय	5.स्तंभ (3) में हानि/शेष अवक्षयण को ध्यान में रखते हुए आय	6.स्तंभ (4) में आय पर कर* प्लस ब्याज	7.स्तंभ (5) में आय पर कर* प्लस ब्याज	8.वर्ष में संदेय अतिरिक्त कर, यदि कोई हो [(7) – (6)]

सुसंगत वर्ष							
सुसंगत वर्ष +1							
सुसंगत वर्ष +2							
...							

\*कर में अधिभार और उपकर शामिल हैं

#### अनुसूची XXVII-ख.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.फाइल विवरणी के अनुसार एमएटी प्रत्यय आगे बढ़ाया गया	3.वीएसवीएस निपटान के पश्चात एमएटी प्रत्यय को आगे बढ़ाया गया	4.स्तंभ (2) में एमएटी प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आय	5.स्तंभ (3) में MAT प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आय	6.स्तंभ (4) में आय पर कर* प्लस ब्याज	7.स्तंभ (5) में आय पर कर* प्लस ब्याज	8.वर्ष में संदेय अतिरिक्त कर, यदि कोई हो [(7) - (6)]
सुसंगत वर्ष							
सुसंगत वर्ष +1							
सुसंगत वर्ष +2							
...							

\*कर में अधिभार और उपकर शामिल हैं

## प्ररूप-2

## [नियम 5 देखिए]

## वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाण पत्र

## [प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन]

श्री/श्रीमती/कुमारी..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) पैन..... और टैन (अनिवार्य, यदि टैन आधारित अपील है)..... ने प्ररूप-1 में पावती संख्या..... और तारीख..... द्वारा वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 91 के अधीन घोषणा फाइल की है ;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित रकम अधिनियम के अधीन उक्त घोषणा के अंतर्गत आने वाला कर बकाया के पूर्णतः और अंतिम निपटान के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा संदाय किए जाने के लिए अवधारित की गई हैं :

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष(केवल तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब TAN आधारित अपील हो)	विवाद समाधान के ब्यौरे		कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित शास्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर-बकाया (रु.)	धारा 90 के अधीन संदेय रकम	कर-बकाया के लिए पहले से ही संदत रकम	पहले से संदत रकम समायोजित करने के पश्चात् संदेय/प्रतिदाय के लिए अतिशेष रकम
			अपील संदर्भ संख्या	अपील दाखिल करने की तारीख					
(1)	(2)	(3)	(4 क)	(4 ख)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)

घोषणाकर्ता को निदेशित किया जाता है कि वह संदेय राशि का संदाय, यदि कोई हो, इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उपरोक्त स्तंभ(9) में उपबंधित अनुसार करे।

उक्त अवधि के भीतर संदेय रकम के असंदाय की बाबत प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह कभी नहीं दिया गया है।

.....  
अभिहित प्राधिकारी

स्थान .....

तारीख .....



**प्ररूप-4**  
**[नियम 7 देखिए]**

**वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 93 के साथ पठित धारा 92की उपधारा (2) के अधीन कर बकाया के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए आदेश**  
**(प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन)**

..... (घोषणाकर्ता का नाम और पैन/आधार सं0/टैन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 91 के अधीन घोषणा की थी ;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी ने आदेश संख्या ..... तारीख ..... द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय / प्रतिदाय योग्य ..... रुपये की रकम अवधारित की और एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जिसमें कर-बकाया का विवरण और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर-बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए ऐसे निर्धारण के पश्चात् संदेय / प्रतिदाय योग्य रकम का विवरण दिया गया है;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 93 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) तारीख ..... के आदेश संख्या ..... में अवधारित कर-बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए घोषणाकर्ता द्वारा ..... रुपये की रकम का संदाय किया गया है।

(ख) स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन किसी भी अपराध के लिए अभियोजन की कोई कार्यवाही शुरू करने या उक्त अधिनियमिति के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से उनमुक्ति दी जाती है [अधिनियम की धारा 93 के अनुसार], नीचे दी गई सारणी में वर्णित कर-बकाया के संबंध में:

निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष (केवल टैन आधारित अपील के लिए प्रस्तुत किया जाना है)	निपटायें गये विवाद का विवरण		कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर / विवादित शास्ति/ विवादित ब्याज / विवादित फीस)	कर-बकाया की रकम
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		अपील संदर्भ संख्या (3क)	अपील दाखिल करने की तारीख (3ख)		

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन घोषणा करना कर दशा को स्वीकार करने के समान नहीं होगा और अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार होने के नाते आयकर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता के लिए यह तर्क देना विधिपूर्ण नहीं होगा कि, यथास्थिति, घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी, ने विवाद का निपटारा करके विवादित मुद्दे पर निर्णय में मौन स्वीकृति व्यक्त की है।

स्थान.....

तारीख.....

.....

(अभिहित प्राधिकारी)

प्रति

(1) घोषणाकर्ता

(2) निर्धारण अधिकारी

(3) संबद्ध प्रधान आयकर आयुक्त

(4) संबद्ध अपीलीय फोरम

**टिप्पण** : जो लागू न हो, उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं. 104/2024, फा. सं./370142/16/2024 -टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2024

**G.S.R. 584(E).**—In exercise of the powers conferred by section 99 of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024);
- (b) “dispute” means appeal, writ or special leave petition filed by the declarant or the income-tax authority before the Appellate Forum, or objections filed before the Dispute Resolution Panel under section 144C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and the Dispute Resolution Panel has not issued any direction, or Dispute Resolution Panel has issued direction under sub-section (5) of section 144C of the said Act and the Assessing Officer has not completed the assessment under sub-section (13) of that section, or application filed under section 264 of the said Act;
- (c) “Form” means the Forms annexed to these rules;
- (d) “issues covered in favour of the declarant” means issues in respect of which –
  - (i) an appeal or writ or special leave petition is filed by the income-tax authority before the appellate forum; or
  - (ii) an appeal is filed before the Commissioner (Appeals) or the Joint Commissioner (Appeals), or objections is filed before the Dispute Resolution Panel, by the declarant, on which he has already got a decision in his favour from the Income Tax Appellate Tribunal (where the decision on such issue is not reversed by the High Court or the Supreme Court) or the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court); or
  - (iii) an appeal is filed by the declarant before the Income Tax Appellate Tribunal on which he has already got a decision in his favour from the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court);
- (e) “new appellant case” means any case other than an “old appellant case” where the declarant is an appellant after the 31st January, 2020 but on or before the specified date;
- (f) “old appellant case” means where the declarant is an appellant on or before the 31st January, 2020, in respect of any tax arrear and continues to be an appellant at the same appellate forum on the specified date in respect of such tax arrear; and
- (g) “section” means section of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024) as included in Chapter IV of the said Act.

(2) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or the Income-tax Act, 1961, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

**3. Amount payable by declarant.-** (1) Where a declarant files a declaration to the designated authority under sub-section (1) of section 91 of the Act, on or before the 31<sup>st</sup> December, 2024, the amount payable by the declarant under the Act shall be as mentioned in column (3) of the Table specified in section 90 of the Act, subject to the conditions as provided in the First, Second and Third provisos of the said Table.

(2) Where a declarant files a declaration to the Designated Authority under sub-section (1) of section 91 of the Act, on or after the 1<sup>st</sup> January, 2025 but on or before the last date, the amount payable by the declarant under the Act shall be as provided in column (4) of the Table specified in section 90 of the Act, subject to the conditions as provided in the First, Second and Third provisos of the said Table.

(3) Where the dispute includes issues covered in favour of declarant, the disputed tax in respect of such issues shall be the amount, which bears to tax, including surcharge and cess, payable on all the issues in dispute, the same proportion as the disputed income in relation to issues covered in favour of declarant bear to the disputed income in relation to all the issues in dispute.

**4. Form of declaration and undertaking.-** (1) The declaration for any dispute referred to in sub-section (1) of section 91 and the undertaking referred to in sub-section (4) of the said section shall be made in Form-1 to the designated authority and shall be filed separately in respect of each order:

**Provided** that where the appellant and the income-tax authority have both filed an appeal or writ petition or special leave petition in respect of the same order, single Form-1 shall be filed by the appellant.

(2) The declaration and the undertaking under sub-rule (1) shall be verified by the declarant or any person competent to verify the return of income on his behalf in accordance with section 140 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

(3) The designated authority, on receipt of declaration, shall issue a receipt electronically in acknowledgement thereof.

**5. Form of certificate by Designated Authority.-** The Designated Authority shall issue a certificate referred to in sub-section (1) of section 92 electronically in Form-2.

**6. Intimation of payment.-** The intimation of payment as referred to in sub-section (2) of section 92, made pursuant to the certificate issued by the designated authority shall be furnished along with proof of withdrawal of appeal, objection, application, writ petition, special leave petition, or claim filed by the declarant to the designated authority in Form-3.

**7. Order by designated authority.-**The order by the designated authority under sub-section (2) of section 92, in respect of payment of amount payable by the declarant as per certificate issued under sub-section (1) of section 92, shall be in Form-4.

**8. Laying down of procedure, formats and standards.-** (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for furnishing and verifying the declaration and undertaking in Form-1, under sub-rule (1) of rule 4, issuance of certificate in Form-2 under rule 5, intimation of payment and proof of withdrawal in Form-3 under rule 6 and issuance of order in Form-4 under rule 7.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said declaration, undertaking, certificate, intimation and order.

**9. Manner of computing disputed tax in cases where loss or unabsorbed depreciation is reduced.-** (1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in loss or unabsorbed depreciation to be carried forward under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the declarant shall have an option to –

- (i) include the tax, including surcharge and cess, payable on the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced in the disputed tax and carry forward the loss or unabsorbed depreciation by ignoring such amount of reduction in loss or unabsorbed depreciation; or
- (ii) carry forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation.

(2) Where the declarant exercises the option as provided in clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation in subsequent years:

Provided that the written down value of the block of asset on the last day of the year, in respect of which unabsorbed depreciation has been reduced, shall not be increased by the amount of reduction in unabsorbed depreciation:

Provided further that in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

**10. Manner of computing disputed tax in cases where Minimum Alternate Tax (“MAT” in short) credit is reduced.-** (1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in MAT credit to be carried forward, the declarant shall have an option to –

- (i) include the amount by which MAT credit to be carried forward is reduced in disputed tax and carry forward the MAT credit by ignoring such amount of reduction, or
- (ii) carry forward the reduced MAT credit.

(2) Where the declarant exercises the option as provided in clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward reduced MAT credit in subsequent years:



Provided that in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

**Explanation.**— For the purposes of this rule MAT credit means the tax credit as provided in section 115JAA or section 115JD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

FORM-1 (See rule 4) FORM FOR FILING DECLARATION UNDER SUB-SECTION (1) AND UNDERTAKING UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 91 OF THE FINANCE (NO. 2) ACT, 2024 (UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)																			
<b>PART A – GENERAL INFORMATION</b>																			
PAN (mandatory field)				TAN (mandatory if TAN based appeal)				Mobile No.											
Aadhaar No.				Name of the appellant				Email Address											
Appeal Reference Number (ARN) [in case both assessee and deptt are in appeal against the same order, provide both the ARNs](Add one row)				Assessment Year															
Financial Year (to be furnished only if TAN based appeal)																			
<b>INFORMATION RELATING TO ELIGIBILITY</b>																			
Whether the applicant is appellant in terms of section 89 of the DTVSV and is not ineligible to apply in terms of section 96 of DTVSV?										Yes	No								
Option exercised by the Appellant Whether opting to pay tax on reduction of losses or depreciation or MAT credit If Yes, go to relevant schedule under Part A; If No, fill up Schedule XXVII under Part D																			
<b>PART B – INFORMATION RELATING TO DISPUTE: (SEPARATE FORM-1 DECLARATION FOR EACH DISPUTE)</b>																			
Nature of tax arrear				Disputed tax/ Disputed Interest/ Disputed Penalty/ Disputed Fee		Details of pending appeal / writ / SLP / DRP Objections / Revision application as on 22.07.2024.– (1) Whether Appeal /objection/revision/Writ / SLP? (2) Appellate Forum – JCT(A)/CIT(A) / DRP/CIT/PCIT/ITAT / HC / SC (3) Filed by – (Tick the relevant option) – Assessee / Department / Both (4) Date of filing (5) Whether DRP case? (6) If yes, whether directions passed by DRP on or before 22.07.2024? (7) If yes, whether order passed by AO? (If yes, not eligible) (8) Applicable Schedule(s) (Dropdown to be provided in e-filing utility)				(Drop down to be provided in e-filing utility)  Based on the combination of nature of disputed tax, appellate forum and appellant relevant schedule will be filled by the declarant									
Details of order by which tax arrear determined (1) Section under which order passed (2) Income-tax authority / Appellate Forum who passed the order (3) Date on which order passed (4) Whether it is a dispute related to section 194IA/194IB/194M – YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				(Drop down to be provided in the e-utility)		If declaration is with respect to appeal, writ, SLP for disputed tax including disputed TDS/TCS appeal, is there pending appeal, writ or SLP for interest or penalty imposed in relation to such disputed tax - YES/ NO				If yes, give details of such appeal, writ or SLP. (details to be captured in e-filing utility)									
<b>PART C – INFORMATION RELATED TO TAX ARREARS</b>																			
(i) Tax arrears (as per schedule)																			
<b>PART D – INFORMATION RELATED TO AMOUNT PAYABLE</b>																			
(i) Total amount payable under DTVSV if declaration is made on or before 31.12.2024										Pick up from X from relevant schedule (in case of both assessee and deptt appeal, add them up)									
(ii) Total amount payable under DTVSV if declaration is made after 31.12.2024										Pick up from Y from relevant schedule (in case of both assessee and deptt appeal, add them up)									
<b>PART E – INFORMATION RELATED TO PAYMENTS AGAINST TAX ARREAR</b>																			
(i) Whether the declarant has made any payment against tax arrears before filing of declaration?										Yes	No								
(ii) If yes, please fill following details																			
S. No.				Date of payment				Amount				BSR Code				Challan Serial Number			
L.																			
(iii) Total payments against tax arrears																			
<b>PART F</b> Net amount payable/refundable by the appellant: Part D (i) or D (ii), as the case may be, less Part E (iii)																			
<b>VERIFICATION</b>																			
I .....(name in block letters) son/daughter of Shri/Smt. .... solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this declaration is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme, 2024.																			

I further declare that I am making this declaration in my capacity as (drop down to be provided) ..... and that I am competent to make this declaration and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted)

Place .....

Date .....

Name and signature of the declarant

### UNDERTAKING

To,

The Designated Authority

.....

.....

Sir/Madam,

\*I, .....(name in block letters) son/daughter of Shri/Smt ..... having PAN .....having decided to avail the benefit of the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Scheme, 2024 provided under Chapter IV of the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024) do hereby voluntarily waive all my rights, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the tax-arrear which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

\*I, ..... (name in block letters) son/daughter of Shri/Smt ..... designation ..... holding PAN ....., being duly authorised and competent in this regard, on behalf of ..... (name of declarant) having PAN .....(PAN of declarant), and having decided to avail the benefit of the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Scheme, 2024 provided under Chapter IV of the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024), do hereby voluntarily waive all its rights, whether direct or indirect, to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the tax-arrear which may otherwise be available to me under any law for the time being in force, in equity, by statute or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise.

The above undertaking is irrevocable.

I do hereby also undertake that provisions of section 96 of Finance (No. 2) Act, 2024 are not attracted in this case.

I also confirm that I am aware of all the consequences of this undertaking.

Place: .....

.....

Signature/Verification

Date: .....

#### Note:

\*Strike off whichever is not applicable.

### A Schedules applicable where declaration relates to disputed tax (applicable in case of PAN)

#### Combination: Disputed tax + JCIT(A)/CIT(A) + Assessee

#### Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/CIT(A) as on 22.07.2024

A	Total income as per order against which appeal filed	A	
B	Disputed income out of A		
	(i) relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii) relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Tax effect of enhancement, if any, by JCIT(A) or CIT(A)	E	
F	Total disputed tax (C+D+E)	F	

<b>G</b>	Interest charged on disputed tax	G	
<b>H</b>	Penalty levied on disputed tax	H	
<b>I</b>	Tax arrears (F+G+H)	I	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.5 * C + D + E$ Old appellant case $0.55 * C + 1.1 * D + 1.1 * E$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.55 * C + 1.1 * D + 1.1 * E$ Old appellant case $0.6 * C + 1.2 * D + 1.2 * E$	Y	

**Combination: Disputed tax + DRP draft order+ Assessee**

Schedule II. To be filled in case assessee has filed objections with DRP against draft assessment order and DRP has not issued any directions as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per draft order against which objections filed		A	
<b>B</b>	Disputed income out of A -		B(i)	
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)		
	(ii)	relating to issues other than B(i)		
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
<b>D</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
<b>E</b>	Total disputed tax (C+D)		E	
<b>F</b>	Interest charged on disputed tax		F	
<b>G</b>	Penalty levied on disputed tax		G	
<b>H</b>	Tax arrears (E+F+G)		H	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.5 * C + D$ Old appellant case $0.55 * C + 1.1 * D$		X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.55 * C + 1.1 * D$ Old appellant case $0.6 * C + 1.2 * D$		Y	

**Combination: Disputed tax + DRP direction + Assessee**

Schedule III. To be filled in case DRP has issued directions under section 144C of the Income-tax Act in response to objections filed by the assessee and Assessing Officer has not passed the order as per such directions issued by DRP as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per directions of DRP		A	
<b>B</b>	Disputed income out of A		B(i)	
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)		
	(ii)	relating to issues other than B(i)		
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
<b>D</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
<b>E</b>	Total disputed tax (C+D)		E	
<b>F</b>	Interest charged on disputed tax		F	
<b>G</b>	Penalty levied on disputed tax		G	
<b>H</b>	Tax arrears (E+F+G)		H	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.5 * C + D$ Old appellant case $0.55 * C + 1.1 * D$		X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.55 * C + 1.1 * D$ Old appellant case $0.6 * C + 1.2 * D$		Y	

**Combination: Disputed tax + ITAT + Assessee**

Schedule IV. To be filled in case appeal of assessee is pending before the ITAT as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal filed		A	
<b>B</b>	Disputed income out of A		B(i)	
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)		
	(ii)	relating to issues other than B(i)		
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(i)		C	
<b>D</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B(ii)		D	
<b>E</b>	Total disputed tax (C+D)		E	
<b>F</b>	Interest charged on disputed tax		F	
<b>G</b>	Penalty levied on disputed tax		G	
<b>H</b>	Tax arrears (E+F+G)		H	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.5 * C + D$ Old appellant case $0.55 * C + 1.1 * D$		X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025		Y	

	New appellant case 0.55*C + 1.1D Old appellant case 0.6*C +1.2*D		
--	---	--	--

**Combination: Disputed tax + ITAT + Department**

Schedule V. To be filled in case appeal of Department is pending before the ITAT as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*C Old appellant case 0.55*C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*C Old appellant case 0.6*C	Y	

**Combination: Disputed tax + HC + Assessee**

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal / writ filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case C Old appellant case 1.1 C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*C Old appellant case 1.2*C	Y	

**Combination: Disputed tax + HC + Department**

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal/ writ filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*C Old appellant case 0.55*C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*C Old appellant case 0.6*C	Y	

**Combination: Disputed tax + SC + Assessee**

Schedule VIII. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case C Old appellant case 1.1*C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*C Old appellant case 1.2*C	Y	

**Combination: Disputed tax + SC + Department**

Schedule IX. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	

<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*C Old appellant case 0.55*C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*C Old appellant case 0.6*C	Y	

**Combination: Disputed tax + 264 + Assessee**

Schedule X. To be filled in case revision application of assessee under section 264 is pending before the PCIT/CIT as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total income as per order against which revision application filed	A	
<b>B</b>	Disputed income out of A	B	
<b>C</b>	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
<b>D</b>	Interest charged on disputed tax	D	
<b>E</b>	Penalty levied on disputed tax	E	
<b>F</b>	Tax arrears (C+D+E)	F	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case C Old appellant case 1.1*C	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*C Old appellant case 1.2*C	Y	

**B. Schedules applicable where declaration relates to disputed TDS/TCS (applicable for TAN)****Combination: Disputed TDS / TCS + JCIT(A)/CIT(A) + Deductor/Collector**

Schedule XI. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/CIT(A) as on 22.07.2024

<b>A</b>	<b>Amount of TDS / TCS disputed in appeal</b>		A	A(i)+A(ii)
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any financial year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
<b>B</b>	Tax effect of enhancement, if any, by JCIT(A) or CIT(A)		B	
<b>C</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS		C	
<b>D</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS		D	
<b>E</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C+D)		E	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A(i) + A(ii) + B Old appellant case 0.55*A(i) + 1.1*A(ii) + 1.1*B		X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*A(i) + 1.1*A(ii) + 1.1*B Old appellant case 0.6*A(i) + 1.20*A(ii) + 1.20*B		Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Deductor/Collector**

Schedule XII. To be filled in case appeal of assessee is pending before the ITAT as on 22.07.2024

<b>A</b>	<b>Amount of TDS / TCS disputed in appeal</b>		A	A(i)+A(ii)
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any financial year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS		B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A(i) + A(ii) + B Old appellant case 0.55*A(i) + 1.1* A(ii) + 1.1*B		X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*A(i) + 1.1* A(ii) + 1.1*B Old appellant case 0.6*A(i) + 1.2* A(ii) + 1.2*B		Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Department**

Schedule XIII. To be filled in case appeal of Department is pending before the ITAT as on 22.07.2024

<b>Amount of TDS / TCS disputed in appeal</b>			
<b>A</b>	TDS/TCS default for which appeal is filed	A	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	

<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A Old appellant case 0.55*A	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*A Old appellant case 0.6*A	Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + HC + Deductor/Collector**

Schedule XIV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
<b>A</b>	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed	A	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case A Old appellant case 1.1*A	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*A Old appellant case 1.2*A	Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + HC + Department**

Schedule XV. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
<b>A</b>	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed	A	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A Old appellant case 0.55*A	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*A Old appellant case 0.6*A	Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Deductor/Collector**

Schedule XVI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
<b>A</b>	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed	A	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case A Old appellant case 1.1*A	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*A Old appellant case 1.2*A	Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Department**

Schedule XVII. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
<b>A</b>	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed	A	
<b>B</b>	Interest charged on disputed TDS / TCS	B	
<b>C</b>	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C	
<b>D</b>	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case 0.5*A Old appellant case 0.55*A	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 0.55*A Old appellant case 0.6*A	Y	

**Combination: Disputed TDS/TCS + 264 + Deductor/Collector**

Schedule XVIII. To be filled in case revision application of assessee under section 264 is pending before the PCIT/CIT as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
A	TDS/TCS default for which revision application filed		A
B	Interest charged on disputed TDS / TCS		B
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS		C
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)		D
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case A Old appellant case 1.1*A		X
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case 1.1*A Old appellant case 1.2*A		Y

**C. Schedule applicable where declaration relates to disputed penalty, interest or fee only (applicable for PAN and TAN)**

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + JCIT(A)/ CIT(A) + Assessee**

Schedule XIX. To be filled in case appeal of assessee is pending before the JCIT(A)/ CIT(A) as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fees per order against which appeal is filed		A	
B	Disputed amount of penalty / interest / fee out of A		B	B(i)+B(ii)
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Penalty or interest or fee enhanced by CIT(A)/ JCIT(A)		C	
D	Tax arrears (B(i)+B(ii)+C)		D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C$ Old appellant case $0.15*B(i) + 0.3B(ii) + 0.3*C$		X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C$ Old appellant case $0.175*B(i) + 0.35*B(ii) + 0.35*C$		Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Assessee**

Schedule XX. To be filled in case appeal of assessee is pending before the ITAT as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal has been filed		A	
B	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee -		B	B(i)+B(ii)
	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Tax arrears (B(i) + B(ii))		C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C$ Old appellant case $0.15*B(i) + 0.3B(ii) + 0.3*C$		X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C$ Old appellant case $0.175*B(i) + 0.35*B(ii) + 0.35*C$		Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Department**

Schedule XXI. To be filled in case appeal of Department is pending before the ITAT as on 22.07.2024

A	Total amount of penalty/interest/fee as per order against which appeal filed		A	
B	Disputed penalty / interest / fee relating to issues on which appeal has been filed		B	
C	Tax arrears (B)		C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.125*B + 0.125*C$ Old appellant case $0.15*B + 0.15*C$		X	
Y	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.15*B + 0.15*C$ Old appellant case $0.175*B + 0.175*C$		Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Assessee**

## Schedule XXII. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before the High Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ has been filed	A	
<b>B</b>	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	B	
<b>C</b>	Tax arrears (B)	C	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.25*B + 0.25*C$ Old appellant case $0.3*B + 0.3*C$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.3*B + 0.3*C$ Old appellant case $0.35*B + 0.35*C$	Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Department**

## Schedule XXIII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before the High Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ has been filed or appeal to be filed	A	
<b>B</b>	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	B	
<b>C</b>	Tax arrears (B)	C	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.125*B + 0.125*C$ Old appellant case $0.15*B + 0.15*C$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.15*B + 0.15*C$ Old appellant case $0.175*B + 0.175*C$	Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Assessee**

## Schedule XXIV. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ or SLP has been filed	A	
<b>B</b>	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	B	
<b>C</b>	Tax arrears (B)	C	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.25*B + 0.25*C$ Old appellant case $0.3*B + 0.3*C$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.3*B + 0.3*C$ Old appellant case $0.35*B + 0.35*C$	Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Department**

## Schedule XXV. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before the Supreme Court as on 22.07.2024

<b>A</b>	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which appeal or writ or SLP has been filed	A	
<b>B</b>	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	B	
<b>C</b>	Tax arrears (B)	C	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.125*B + 0.125*C$ Old appellant case $0.15*B + 0.15*C$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.15*B + 0.15*C$ Old appellant case $0.175*B + 0.175*C$	Y	

**Combination: Disputed penalty/interest/fee + 264 + Assessee**

## Schedule XXVI. To be filled in case revision application of assessee under section 264 is pending before the PCIT/CIT as on 22.07.2024

Amount of TDS / TCS disputed in appeal			
<b>A</b>	Total amount of penalty / interest / fee as per order against which revision application filed	A	
<b>B</b>	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in revision application	B	
<b>D</b>	Tax arrears (B)	D	
<b>X</b>	Amount payable under DTVSV on or before 31.12.2024 New appellant case $0.25*B + 0.25*C$ Old appellant case $0.3*B + 0.3*C$	X	
<b>Y</b>	Amount payable under DTVSV on or after 01.01.2025 New appellant case $0.3*B + 0.3*C$ Old appellant case $0.35*B + 0.35*C$	Y	



**D: In case the appellant opts not to pay tax on additions having effect of reducing loss or depreciation or MAT credit carried forward then the following schedules are to be filled up.**

**Schedule XXVII-A.**

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Loss/ unabsorbed depreciation carried forward as per return filed	Loss/ unabsorbed depreciation carried forward after VSVS settlement	Income taking into account loss/ unabsorbed depreciation in Column (2)	Income taking into account loss/ unabsorbed depreciation in Column (3)	Tax* plus interest on Income in Column (4)	Tax* plus interest on Income in Column (5)	Additional Tax payable in the year, if any [(7) – (6)]
Relevant Year							
Relevant Year + 1							
Relevant year + 2							
...							

\*Tax includes surcharge and cess

**Schedule XXVII-B.**

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	MAT credit carried forward as per return filed	MAT credit carried forward after VSVS settlement	Income taking into account MAT credit in Column (2)	Income taking into account MAT credit in Column (3)	Tax* plus interest on Income in Column (4)	Tax* plus interest on Income in Column (5)	Additional Tax payable in the year, if any [(7) – (6)]
Relevant Year							
Relevant Year + 1							
Relevant year + 2							
...							

\*Tax includes surcharge and cess

**Form-2****[See rule 5]**

**CERTIFICATE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 92 OF THE  
FINANCE (NO. 2) ACT, 2024  
(UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)**

Whereas Mr./Mrs./M/s..... (hereinafter referred to as the declarant) having PAN ..... and TAN (mandatory if TAN based appeal) .....has filed a declaration under section 91 of the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024) in Form 1 vide acknowledgment number ..... dated .....

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 of the Act and after consideration of relevant material, the following amounts are hereby determined to be payable by the declarant towards full and final settlement of the tax-arrear covered by the said declaration under the Act:

Sl. No.	Assessment year	Financial year (to be furnished only if TAN based appeal)	Details of dispute settled		Nature of tax-arrear (disputed tax / disputed penalty / disputed interest / disputed fee)	Tax-arrear (Rs.)	Amount payable under section 90 of the Act (Rs.)	Amount already paid against tax-arrear	Balance amount payable / refundable after adjusting amount already paid
			Appeal Reference Number	Date of filing Appeal					
(1)	(2)	(3)	4(a)	4(b)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) – (8)

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable, if any, as provided in column (9) above within fifteen days from the date of receipt of this certificate.

In case of non-payment of amount payable within the said period, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made.

Place .....

Date .....

.....

(Designated Authority)



**Form-4**  
[See rule 7]

ORDER FOR FULL AND FINAL SETTLEMENT OF TAX ARREAR UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 92 READ WITH SECTION 93 OF FINANCE (NO. 2) ACT, 2024

(UNDER THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS SCHEME, 2024)

Whereas..... (Name of the declarant) (hereinafter referred to as declarant) having PAN ..... And TAN (mandatory if TAN based appeal) ....., had made a declaration under section 91 of the Finance (No.2) Act, 2024 (15 of 2024);

And whereas the designated authority by order No. .... dated ..... determined the amount of ..... rupees payable / refundable by the declarant in accordance with the provisions of the Act and granted a certificate setting forth therein the particulars of the tax-arrear and the amount payable / refundable after such determination towards full and final settlement of tax-arrear as per details given below;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 read with section 93 of the Act, it is hereby certified that-

- (a) a sum of Rs. .... has been paid by the declarant towards full and final settlement of tax-arrear determined in the order No. .... dated.....
- (b) immunity is granted subject to the provisions contained in the Scheme, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or from the imposition of penalty under the said enactment [as per section 93 of the Act], in respect of the tax-arrear as detailed in the table below:

Assessment year	Financial year (to be furnished only if TAN based appeal)	Details of dispute settled		Nature of tax-arrear (disputed tax / disputed penalty / disputed interest / disputed fee)	Amount of tax- arrear
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		Appeal Reference Number (3a)	Date of filing Appeal (3b)		

It is hereby clarified that making a declaration under this Act shall not amount to conceding the tax position and it shall not be lawful for the income-tax authority or the declarant being a party in appeal or writ petition or special leave petition to contend that the declarant or the income-tax authority, as the case may be, has acquiesced in the decision on the disputed issue by settling the dispute.

Place .....

Date .....

.....

(Designated Authority)

To

- (1) The declarant  
(2) Assessing Officer  
(3) Concerned Pr. Commissioner of Income-tax  
(4) Concerned Appellate Forum

**Note:** Strike-off whatever is not applicable.

[Notification No. 104/2024, F. No. 370142/16/2024-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.